आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0—54 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से बिगु भगत एवं अन्य, ग्राम—तुतटोली, पं0—तिरला, प्र0—खूँटी, जिला—खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर श्रीमती कंचन सिंह, एकाउन्टेंट आयोग कार्यालय में उपस्थित। आज की सुनवाई में बिगु भगत की जगह कोई अन्य महिला मालती देवी उपस्थित हैं। उनका इस वाद से कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी एक अलग शिकायत है। आयोग उन्हें निदेश देता है कि वो अपनी शिकायत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित श्रीमती कंचन सिंह, एकाउन्टेंट को उपलब्ध करा दें और उनकी शिकायत पर यथोचित कार्रवाई करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है। चूकि इस वाद में शिकायतकर्ता का कोई पक्ष लगातार नहीं आ रहा है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx54		